उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 11.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

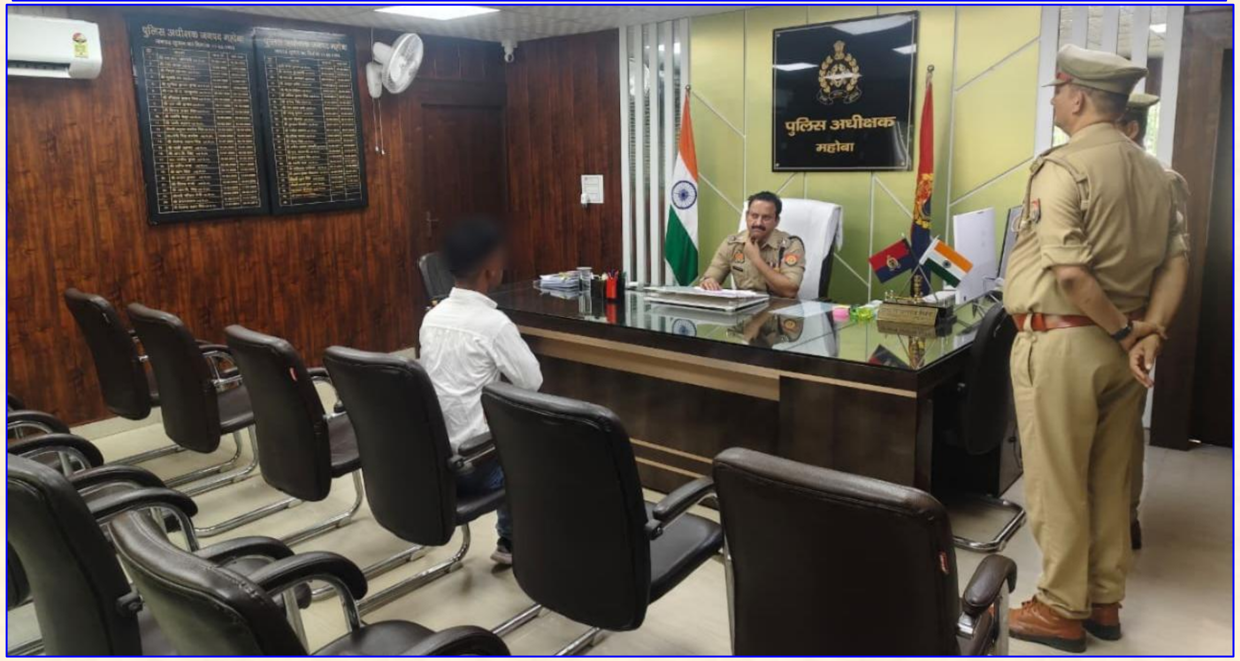

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में *महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा* सम्मान हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक- 11.09.2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी क्रम में जनपद के अन्य थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया और शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पम्पलेट वितरित कर हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार-प्रसार किया गया। जिसमें क्रमशः

थाना कोतवाली नगर महोबा – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में

थाना कबरई – कस्बा कबरई में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में

थाना खन्ना- थानाक्षेत्र के कस्बा खन्ना अन्तर्गत सब्जी मण्डी में चौपाल लगाकर

थाना चरखारी – कस्बा चरखारी में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में

थाना खरेला – कस्बा खरेला के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में

थाना श्रीनगर – बुंदेलखंड नवोदय महाविद्यालय श्रीनगर में

थाना कुलपहाड़- कस्बा कुलपहाड़ बस स्टैंड गोंदी चौराहा व कस्बा मार्केट

थाना पनवाड़ी – थाना पनवाड़ी के कस्बा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में

थाना महोबकंठ – आयुष्मान आरोग्य मंदिर महोबकंठ

इस दौरान महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर परस्पर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें उनके अधिकारों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों, *गुड टच-बैड टच*, *साइबर अपराध* से बचाव एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:-

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, **1076** – मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन
1090 – विमेन पावर हेल्पलाइन, **1930** – साइबर अपराध हेल्पलाइन **102** – स्वास्थ्य सेवा,
108 – एम्बुलेंस सेवा **1098** – चाइल्ड हेल्पलाइन, **181** – महिला हेल्पलाइन

इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और हर परिस्थिति में उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 11.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह मय हमराह का0 राहुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त जगदेव उर्फ नेता पुत्र मेवालाल अहिरवार उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम पचपहरा थाना खन्ना जनपद महोबा सम्बन्धित मु0स0 270/22 एनसीआर 66/20 धारा 323/506 भादवि सरकार बनाम जगदेव उर्फ नेता थाना खन्ना जनपद महोबा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा के वारण्टी अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम पचपहरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

जगदेव उर्फ नेता पुत्र मेवालाल अहिरवार उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम पचपहरा थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह
2. का0 राहुल कुमार

थाना चरखारी की संयुक्त पुलिस टीम ने मुकदमें में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम गठित की गयी।

थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम ने मु0अ0सं0 192/25 धारा 64(1)/127(2)/351(3) BNS से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त परमेश्वरी दयाल उर्फ पम्मू कुशवाहा पुत्र बिहारी कुशवाहा उम्र करीब 27 बर्ष निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा संबंधित को सेन्ट जेम्स इन्टर कालेज के पश्चिमी बाउन्डरी के पास से गिरफ्तार किया है।

इसी क्रम में उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह व म0उ0नि0 नेहा विश्वकर्मा के नेतृत्व में द्वितीय पुलिस टीम ने मु0अ0सं0 140/25 धारा 137(2)/87/64(1) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त कैलाश पुत्र मूलचन्द्र उर्फ मुल्लू उम्र 18 वर्ष निवासी मु0 रूपनगर कस्बा व थाना चरखारी को सूपा चौराहा कस्बा चरखारी से गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारशुदा वांछित अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करते हुए सम्बन्धित मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तारशुदा वांछित अभियुक्तों का विवरण-

1. परमेश्वरी दयाल उर्फ पम्मू कुशवाहा पुत्र बिहारी कुशवाहा उम्र करीब 27 बर्ष निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा
2. कैलाश पुत्र मूलचन्द्र उर्फ मुल्लू उम्र 18 वर्ष निवासी मु0 रूपनगर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम :-

(प्रथम टीम) 1. थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह
2. का0 आयर्न सिह 3. का0वीरेश्वर दत्त मिश्रा 4. का0 जयदीप पटेल

(द्वितीय टीम) 1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह चौकी प्रभारी कस्बा चरखारी
2. म0उ0नि0 नेहा विश्वकर्मा

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में, आज दिनांक 11.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 पवन गौड़, उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्र मय हमराह का0 मिथुन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त पवन राजपूत पुत्र लखचन्द्र रापजूत उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम किल्हौआ थाना पनवाडी जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के कबूतरा डेरा ग्राम छतेसर को जाने बाले कच्चे मार्ग पर स्थित महान ग्रेनाइट क्रेशर के पास बहद ग्राम छतेसर के पास से गिरफ्तार किया है इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ, जिसके सम्वन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 201/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय महोबा भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

पवन राजपूत पुत्र लखचन्द्र रापजूत उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम किल्हौआ थाना पनवाडी जनपद महोबा गिरफ्तार करने वाली टीम –

बरामदगी माल-

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 पवन गौड़ थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्र थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
3. का0 मिथुन कुमार थाना पनवाडी जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत
“परिवार परामर्श केन्द्र” कमेटी के सदस्यों ने
परिवार को बिखरने से बचाया, परिवार में लौटी खुशियां-

आज दिनांक 11.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में पुलिस लाइन महोबा स्थित सभागार में “परिवार परामर्श केन्द्र” कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी महिला थाना की अध्यक्षता एवं समिति के समस्त सम्मानित सदस्यगणों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम के दौरान पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद से जुड़े 05 मामलों की काउंसलिंग की गयी। प्रत्येक जोड़े की समस्याओं को धैर्यपूर्वक व गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान हेतु विस्तृत परामर्श दिया गया। परामर्श के परिणामस्वरूप एक दम्पत्ति आपसी सहमति से पुनः साथ रहने के लिए तैयार हो गये, जबकि शेष मामलों में अगली तिथि पर पुनः काउंसलिंग हेतु बुलाया गया है।

परिवार परामर्श केन्द्र के इस सफल प्रयास की परिजनों द्वारा सराहना की गयी और पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

काउंसलिंग सत्र के दौरान उ0नि0 गयास अहमद, म0का0 रेखा देवी तथा परामर्श समिति के माननीय सदस्यगण डॉ. विभा पुरवार, श्री शिवकुमार गोस्वामी एवं श्री रामजी गुप्ता की सक्रिय सहभागिता उल्लेखनीय रही।

जनपद महोबा पुलिस द्वारा परिवारिक विवादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलझाने की यह पहल न केवल समाज में शांति व सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में सार्थक कदम है, बल्कि परिवार संस्था की मजबूती का भी प्रतीक है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

महोबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई – थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले 05 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

आज दिनांक 11.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में, थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित फर्जीवाड़े के मामले में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 387/25 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस में वांछित चल रहे 05 अभियुक्तों को बजरंग चौक, हनुमान मंदिर के पास थाना कोतवाली नगर, महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

जांच में प्रकाश में आया था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बिना वास्तविक भूस्वामियों की सहमति के विभिन्न गाटा संख्याओं पर फसल बीमा करा लिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. रविन्द्र खंगार पुत्र विनोद खंगार उम्र 24 वर्ष निवासी बम्हौरीकुर्मिन थाना महोबकण्ठ महोबा।
2. देवेन्द्र पटेल पुत्र हरदयाल पटेल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम घुटई थाना महोबकण्ठ महोबा।
3. चरन सिंह यादव पुत्र मंगल सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी थुरट थाना अजनर जनपद महोबा।
4. पवन राजपूत पुत्र राजेन्द्र राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी महोबा।
5. संगम श्रीवास पुत्र प्रहलाद उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम नगारा डांग थाना अजनर महोबा।

सभी अभियुक्तगण उपरोक्त प्रकरण में वांछित चल रहे थे जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष कुमार पाण्डेय, थाना कोतवाली नगर महोबा।
2. हे0का0 विकास सिंह, थाना कोतवाली नगर महोबा।
3. का0 मुकेश सिंह, थाना कोतवाली नगर महोबा।
4. का0 अभिषेक पटेरिया, थाना कोतवाली नगर महोबा।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष कुमार पाण्डेय के नेतृत्व उ0नि0 श्रीकान्त तिवारी हमराह हे0का0 प्रदीप कुमार व आरक्षी अवनेश कुमार द्वारा वाँछित/वारण्टी की तलाश, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति के दौरान 01 नफर अभियुक्त अरविन्द राजपूत पुत्र किशोर सिंह उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम छिकहरा थाना कोतवाली नगर महोबा को छिकहरा मोड के पास से अवैध तमंचा व कारतूस के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु.अ.सं. 415/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अरविन्द राजपूत पुत्र किशोर सिंह उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम छिकहरा थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्रीकान्त तिवारी थाना कोतवाली नगर महोबा
2. हे0का0 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली नगर महोबा
3. का0 अवनेश कुमार थाना कोतवाली नगर महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सर्किल चरखारी के थानों पर नियुक्त विवेचकों का अर्दली रूम किया गया एवं थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा

आज दिनांक 11.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा थाना चरखारी परिसर में अर्दली रूम का आयोजन किया गया। इसमें चरखारी सर्किल के अंतर्गत आने वाले सभी थानों पर नियुक्त विवेचकों की कार्यप्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा कर विवेचकों को समयबद्ध, निष्पक्ष एवं साक्ष्य आधारित विवेचना सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले की जांच इस प्रकार हो कि पीड़ित को शीघ्र न्याय मिले एवं अपराधियों को विधिक दंड से वंचित न रहने दिया जाए।

महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों की रोकथाम, कमजोर वर्ग के शोषण से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतने तथा “मिशन शक्ति” अभियान के तहत सतत् सक्रियता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।

अर्दली रूम के उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा चरखारी कस्बे में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने बाजार क्षेत्र, सार्वजनिक स्थलों एवं संवेदनशील बिंदुओं का स्थलीय निरीक्षण कर पुलिस बल की तैनाती और गश्त व्यवस्था का अवलोकन किया।

उन्होंने आमजन से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं की जानकारी ली तथा पुलिस की त्वरित सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नियमित गश्त, ड्रोन मॉनिटरिंग एवं सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों अथवा असामाजिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह ने स्पष्ट कहा कि – “जनता का विश्वास ही पुलिस की असली पूंजी है, अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को सतर्क, संवेदनशील एवं उत्तरदायी व्यवहार के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।”

इस अवसर पर चरखारी सर्किल के समस्त थाना प्रभारी, उपनिरीक्षकगण एवं पुलिस बल मौजूद रहे।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 03.09.2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 1041/2011 धारा 279/337/338 भादवि. व 189 एमवी. एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त लक्ष्मन दास पुत्र तईया निवासी ग्राम फतेहपुर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,200/- रु0 के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र फैक्ट्री संचालन में गिरफ्तार अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप वर्ष 1997 में अवैध शस्त्रों के निर्माण करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खन्ना में पंजीकृत शस्त्र अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए मा0 सि.जज जू.डि. मौदहा हमीरपुर द्वारा आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना खन्ना में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 119/1997 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त झण्डू पुत्र सियाराज लुहार नि. गुढा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रू0 के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।

का0 कुंजबिहारी
पैरोकार थाना खन्ना